घोषणा पत्र

मैं________________________पुत्र/पत्नी श्री______________________निवासी ________________________________ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना **"उद्यमिता विकास कार्यक्रम"** हेतु आवेदन किया है, जिसका वर्णन निम्नानुसार हैः–

(i) आवेदन संख्या/दिनांकः

(ii)सबमिशन का नाम (जो लागू हो उसे ✓ करें)

a) Establishment of Entrepreneurship for Breed Development of Rural Poultry ☐

b) Establishment of Entrepreneurship for Breed Development in Small Ruminant Sector (Sheep & Goat Farming) ☐

c) Piggery Entrepreneurship ☐

d) Entrepreneurship activities in feed & fodder ☐

उक्त आवेदन के क्रम में मैं यह घोषणा करता हूँ कि –

1. परियोजना लागत हेतु आवश्यक बैंक ऋण के लिए मैं स्वयं के स्तर से प्रयास कर बैंक से ऋण स्वीकृत करवाने के लिए उत्तरदायी हूँ।
2. परियोजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक **"आवेदक की हिस्सा राशि"** का स्वयं के वित्तीय स्त्रोंतों से निवेश करने में सक्षम हूँ।
3. परियोजना स्थल हेतु मेरे पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि/लीज पर भूमि उपलब्ध है, जिसके दस्तावेज संलग्न है।
4. आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य है एवं कोई मिथ्या जानकारी नहीं दी गई है।

स्थानः–

दिनांकः–

आवेदक के हस्ताक्षर एवं

नाम

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (परिवर्तित)

National Livestock Mission (Realigned)

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) ने परिवर्तित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entreprenuership Development Programme- EDP) की जुलाई 2021 में घोषणा की है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पशुपालन गतिविधियों हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु चार प्रकार के उद्यम स्थापित किये जा सकते है:–

1. ग्रामीण मुर्गीपालन उद्यमिता कार्यक्रमः
2. भेड व बकरी पालन उद्यमिता कार्यक्रम
3. शूकर पालन उद्यमिता कार्यक्रम
4. चारा विकास उद्यमिता कार्यक्रम

योजना के उद्देश्य :

1. रोजगार के अवसरों की उत्पति
2. उद्यमिता विकास
3. पशु उत्पादन में वृद्धि

आवेदन कौन कर सकता है:–

1. निजी व्यक्ति
2. स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.–Village/Cluster level organization)
3. कृषक सहकारी संगठन (एफ.सी.ओ)
4. कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ)
5. संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.)
6. धारा 8 अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियाँ(गैर लाभकारी)

आवेदक के योग्यता मापदण्ड:–

1. संबंधित उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव एवं प्रशिक्षण अथवा प्रशिक्षित व्यक्ति की सेवायें उपलब्ध हो।
2. बैंक से ऋण स्वीकृति की पात्रता रखता हो।
3. स्वयं की भूमि अथवा लीज पर भूमि उपलब्ध हो।
4. के.वाई.सी से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हो।

आवेदन कैसे करें:–

भारत सरकार (DAHD Department) के पोर्टल www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तथा समस्त आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ इसी पोर्टल पर अपलोड किये जाते है। आवेदक को आवेदन पत्र की स्थिति (Status) पोर्टल के माध्यम से ज्ञात होती रहती है।

अनुदान:–

1. पूँजीगत लागत का 50% हिस्सा अनुदान के रूप में SIDBI द्वारा दो बराबर किश्तों में देय है। अनुदान की अधिकतम सीमा उद्यम अनुसार भिन्न–भिन्न है (जो कि रू. 10.00 लाख से रू. 50 लाख के मध्य है)।
2. **बैंक लोन पोषित उद्यमों** हेतु लाभार्थी को कुल योजना लागत का कम से कम 10% राशि स्वयं को लगानी होगी।
3. बैंक ऋण की 25% राशि जारी होने के पश्चात् अनुदान की प्रथम किश्त लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती है।
4. उद्यम पूर्ण होने पर लाभार्थी को अनुदान की द्वितीय किश्त जारी की जाती है।
5. **स्ववित्तपोषित उद्यमों** हेतु आधारभूत संरचना में 25% खर्च करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किश्त तथा उद्यम पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
6. अनुदान स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय भारत सरकार (Project Approval Committee) का होता है।

Application Flow

Online Application from Entreprenuer

↓

Scrutiny of Application by SIA

↓

Verification by District Joint Director

↓

Forwarding Application to bank/lender by SIA

↓

Loan Sanction by Banks/ Lender

↓

Recommendation from SLEC

↓

Approval of Subsidy by DAHD (PAC)

R– 18.1.2024 – 5:39 PM

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	उद्यम	मुर्गीपालन	भेड/बकरी पालन	शूकर पालन	चारा उद्यम
1.	उद्यम का विवरण	कम लागत प्रौद्योगिकी के कम से कम एक हजार पक्षियों के पेरेन्ट फार्म की स्थापना, चूजों के उत्पादन हेतु हैचरी एवं चूजों के पालन पोषण के लिए ब्रूडर मदर इकाई की स्थापना। (अनुदान अधिकतम 25.00 लाख)।	मेंमनों के उत्पादन के लिए 100 मादा और 5 नर भेड़/बकरी, 200 मादा और 10 नर भेड़/बकरी, 300 मादा और 15 नर भेड़/बकरी, 400 मादा और 20 नर भेड़/बकरी एवं 500 मादा और 25 नर भेड़/बकरी के प्रजनन फार्म की स्थापना। (अनुदान 10.00 से 50.00 लाख)।	शूकर उत्पादन हेतु शूकर उत्पादन के लिए 50 मादा एवं 5 नर शूकर एवं 100 मादा एवं 10 नर शूकर के प्रजनन फार्म की स्थापना।	चारा एवं चारा उद्यमिता के तहत साइलेज, चारा ब्लॉक बनाने की इकाई और कुल मिश्रित राशन (टी.एम.आर.) के लिए संयंत्र की स्थापना।
2.	अनुदान विवरण	पूंजीगत लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में देय होगी जिसकी अधिकतम सीमा रू. 25.00 लाख है।	पूंजीगत लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में देय होगी (अनुदान 10.00 से 50.00 लाख)।	पूंजीगत लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में देय होगी (अनुदान 15.00 से 30.00 लाख)।	पूंजीगत लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में देय होगी जिसकी अधिकतम सीमा रू. 50.00 लाख है।

मुर्गीपालन पालन के लिये पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने के लिये पात्र वस्तुए	भेड/बकरी पालन के लिये पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने के लिये पात्र वस्तुऐं	शूकर पालन के लिये पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त करने के लिये पात्र वस्तुऐं
• पैरेंट लेयर फार्म के लिये • शेड का निर्माण, पैरेंट लेयर्स की कीमत चिक फीडर चिक ड्रिंकर एडल्ट फीडर एडल्ट ड्रिंकर • हैचरी के लिये • हैचरी बिल्डिंग का निर्माण इनक्यूबेटर हैचर जनरेटर • ब्रूडर यूनिट के लिये • बिल्डिंग का निर्माण चिक फीडर चिक ड्रिंकर इलेक्ट्रिक ब्रूडर	• भेड/बकरी पैरेंट स्टाक के लिये हाउसिंग शेड का निर्माण, • बच्चों एवं बीमार जानवरो के लिये हाउसिंग शेड का निर्माण, • भेड/बकरी पैरेंट स्टाक की कीमत • परिवहन लागत • चारा उत्पादन • चारा कटर • साईलेज बनाने की मशीन • बीमा • उपकरण	• पैरेंट स्टाक के लिये हाउसिंग शेड का निर्माण, • बच्चों एवं बीमार जानवरो के लिये हाउसिंग शेड का निर्माण, • फैरोइंग पेन का निर्माण, स्टोर रूम का निर्माण • पैरेंट स्टाक की कीमत • परिवहन लागत • बीमा • उपकरण

Scanned with AnyScanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक दस्तावेज

...दक का नाम जिला प्रोजेक्ट

(आवेदन पत्र के साथ - www.nlm.udyamimitra.in पर ऑनलाइन अपलोड किये जाने है)

कम	आवश्यक दस्तावेज		आवेदक द्वारा अपलोड दस्तावेज
1	आधार कार्ड मय पूर्ण पता (दोनो तरफ)		
2	पेन कार्ड		
3	गत छः माह का बैंक स्टैटमेन्ट		
4	आवेदक के प्रिंट नाम सहित बैंक खाते का निरस्त चैक (जिस बैंक से लोन लेना चाह रहे है)		
5	आवेदक का फोटोग्राफ		
6	अनुभव प्रमाण पत्र	अनुभव प्रमाण पत्र एव प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मे से एक का होना अनिवार्य है।	
7	प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र		
8	गत तीन वर्ष की आयकर विवरणी (ITR Return) (लागू हो तो)		
9 A 9 B	अ)भूमि दस्तावेज विवरण पट्टा/जमाबन्दी/ट्रेश नक्शा राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रमाणित (स्वामित्व या 05 वर्ष से अधिक के लिये आवेदक के नाम रजिस्टर्ड लीज) ब)सहकाश्तकारों से नोटेराइज्ड सहमति पत्र (Rs 50 के स्टाम्प पेपर)		
10	प्रोजेक्ट स्थल भूमि का फोटो मय जी.आई टैगिंग		
11	स्पष्ट विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जिसमे कुल लागत,आवर्ति लागत एवं शुद्ध आय आदि का तार्किक विवरण हो।		
12	आवेदक के हिस्सा का प्रमाण पत्र (Rs 50 के स्टाम्प पेपर) (कुल प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10प्रतिशत)		
13	उद्यमिता से जुडे पशुपालको का विवरण (नाम,आधार कार्ड,मोबाइल नम्बर, पता) यदि लागू हो तो।		
14	स्थानीय निकाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पोल्ट्री एव शूकर पालन के लिये)		

नोटः बैंक द्वारा लोन के लिये स्वीकृत राशि आवेदक द्वारा बैंक लोन के लिये आवेदन मे अंकित राशि से कम नही होनी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner